

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक  
(श्री सुभाष चन्द शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

65 / 2013  
9.6.2016

मोतीलाल पुत्र चतुर्भुज जाति मीना निवासी पचाला तहसील उनियारा जिला टोंक

उनवान

- वादी

1. माधो पुत्र चतुर्भुज जाति मीना निवासी पचाला तहसील उनियारा जिला टोंक
2. घनश्याम पुत्र चतुर्भुज जाति मीना निवासी पचाला तहसील उनियारा जिला टोंक
3. शिवदास पुत्र चतुर्भुज जाति मीना निवासी पचाला तहसील उनियारा जिला टोंक
4. बड़ोदा राज 0 ग्रामीण बैंक शाखा पचाला जरिये शाखा प्रबन्धक
5. तहसीलदार तहसील उनियारा मु 0 अलीगढ जिला टोंक

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा  
उपस्थित:- श्री बी 0 एल 0 कासलीवाल वकील वादी

### निर्णय

प्रकरण मे तहसीलदार उनियारा ने राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार पचाला के तहत कूर्रजात रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण को कूर्रजात रिपोर्ट का अवलोकन कराया गया। उभय पक्ष तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रेषित कूर्रजात रिपोर्ट से सहमत है। अतः वादग्रस्त आराजी ख 0 न 0 1153 रकबा 0.62, ख 0 न 0 2541 रकबा 1.81 है 0 वाके ग्राम चोरु व ख 0 न 0 7 रकबा 1.43 है 0 वाके ग्राम अतीकपुरा तहसील उनियारा का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

1. मोतीलाल पुत्र चतुर्भुज जाति मीना सा 0 बेगमपुरा खातेदार राहिन बी.आर.जी.बी. शाखा पचाला

ग्राम का नाम	ख 0 न 0	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान
चोरु	1153 / 1	0.16	बारानी प्रथम	1.28
अतीकपुरा	7 / 1	0.36	बारानी प्रथम	2.88

2. घनश्याम पुत्र चतुर्भुज जाति मीना सा 0 बेगमपुरा खातेदार राहिन बी.आर.जी.बी. शाखा पचाला

ग्राम का नाम	ख 0 न 0	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान
चोरु	1153 / 2	0.15	बारानी प्रथम	1.20
अतीकपुरा	7 / 2	0.36	बारानी प्रथम	2.88

अधिकारी  
उनियारा

3.शिवदास पुत्र चतरभुज जाति मीना सा0 बेगमपुरा खातेदार राहिन बी.आर.जी.बी. शाखा पचाला

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान
चोरु	1153/3	0.15	बारानी प्रथम	1.20
	2541	1.81	बारानी प्रथम	14.48
अतीकपुरा	7/3	0.35	बारानी प्रथम	2.80

1.माधोलाल पुत्र चतरभुज जाति मीना सा0 बेगमपुरा खातेदार राहिन बी.आर.जी.बी. शाखा पचाला

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान
चोरु	1153/4	0.16	बारानी प्रथम	1.28
अतीकपुरा	7/1	0.36	बारानी प्रथम	2.88

तहसीलदार उनियारा को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.06.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्री सुभाषचन्द शर्मा,  
आर0ए0एस0  
उपखण्ड अधिकारी उनियारा  
उपखण्ड अधिकारी  
उनियारा

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक  
(डिकी मुकदमा इब्तदाई)**

उनवान  
मोतीलाल पुत्र चतुर्भुज जाति मीना निवासी पचाला तहसील उनियारा जिला टोंक

- वादी

- बनाम
1. माधो पुत्र चतुर्भुज जाति मीना निवासी पचाला तहसील उनियारा जिला टोंक
  2. घनश्याम पुत्र चतुर्भुज जाति मीना निवासी पचाला तहसील उनियारा जिला टोंक
  3. शिवदास पुत्र चतुर्भुज जाति मीना निवासी पचाला तहसील उनियारा जिला टोंक
  4. बडोदा राज0 ग्रामीण बैंक शाखा पचाला जरिये शाखा प्रबन्धक
  5. तहसीलदार तहसील उनियारा मु0 अलीगढ जिला टोंक

- प्रतिवादीगण

**दावा बाबत उदघोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर :- 65 वर्ष 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सुभाष चन्द शर्मा आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री बी0एल0 कासलीवाल वकील वादी मिनजानिब मुद्दइ व .... प्रतिवादी पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख0न0 1153 रकबा 0.62, ख0न0 2541 रकबा 1.81 है0 वाके ग्राम चोरू व ख0न0 7 रकबा 1.43 है0 वाके ग्राम अतीकपुरा तहसील उनियारा का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

1. मोतीलाल पुत्र चतरभुज जाति मीना सा0 बेगमपुरा खातेदार राहिन बी.आर.जी.बी. शाखा पचाला

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (हेक्टर में)	किस्म	लगान
चोरू	1153/1	0.16	बारानी प्रथम	1.28
अतीकपुरा	7/1	0.36	बारानी प्रथम	2.88

2. घनश्याम पुत्र चतरभुज जाति मीना सा0 बेगमपुरा खातेदार राहिन बी.आर.जी.बी. शाखा पचाला

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (हेक्टर में)	किस्म	लगान
चोरू	1153/2	0.15	बारानी प्रथम	1.20
अतीकपुरा	7/2	0.36	बारानी प्रथम	2.88

उप खण्ड अधिकारी  
उनियारा

3. शिवदास पुत्र चतरभुज जाति मीना सा0 बेगमपुरा खातेदार राहिन बी.आर.जी.बी. शाखा पचाला


ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान
चोरु	1153/3	0.15	बारानी प्रथम	1.20
	2541	1.81	बारानी प्रथम	14.48
अतीकपुरा	7/3	0.35	बारानी प्रथम	2.80

4. माधोलाल पुत्र चतरभुज जाति मीना सा0 बेगमपुरा खातेदार राहिन बी.आर.जी.बी. शाखा पचाला

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान
चोरु	1153/4	0.16	बारानी प्रथम	1.28
अतीकपुरा	7/1	0.36	बारानी प्रथम	2.88

तहसीलदार उनियारा को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिये जाते हैं। फरिक्केन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 06 सन् 2016 को जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी  
उनियारा जिला टोंक  
उप खण्ड, अधिकारी  
उनियारा